

MW transmitter at Dharwad is less than 60 miles.

There is an approved Plan scheme to upgrade the power of Dharwad transmitter to 200 kw which will improve the coverage in the State considerably. However, the implementation of this scheme will depend on the availability of resources.

(b) In the perspective Plan for the development of broadcasting in Eighties, provision has been made for the installation of a 50 kw short-wave transmitter at Bangalore. The implementation of this scheme, however, will depend on the availability of resources and the relative priorities.

(c) Bangalore TV Centre is likely to be commissioned in 1982-83.

(d) The area expected to be covered by the Bangalore TV Centre is 18,000 Sq. Kms. Plans for setting up of TV Centres at other places in Karnataka are yet to be finalised.

Protection Wall along the Sea Coast from Ponnani to Valiyankodi, Kerala

3363. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the pressing need for a sea-wall from Ponnani to Valiyankodi (Kerala) to protect the poor fishermen from the constant grave threat of sea-encroachment and consequent annual loss of lives and huts; and

(b) if so, whether Government propose to examine the matter and take necessary steps in this direction?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDAY): (a) and (b). The Kerala Government has reported that the reach from Ponnani to Valiyankodi about 10 km in length is not subjected to severe erosion. There was an overflow in Ponnani

town to the South of Barathapuzha outlet some three years back, damaging roads and hutments, but no damage has been reported since then.

At Veliyankodi, a groyne has been constructed at the river outlet and this has helped in the prevention of erosion in that area. Further, there is a proposal to construct a sea wall for a length of 1 km during 1980-81. The area is under constant what by the State Government and further protection works will be taken, if found necessary.

Farakka Barrage Project

3364. SHRI ZAINUAL ABEDIN: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that since the Farakka Barrage Project has begun functioning, thousands of acres of cultivable land has been lying under water and thereby causing immense loss to the poor farmers;

(b) if so, whether any scheme is under consideration of the Government for making the land cultivable again;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether Government proposes to compensate for the loss being incurred by the poor farmers?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDAY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A scheme for development of low-lying areas of the Pagla-Bansloi basin affected by Farakka Feeder Canal waters and to make available such areas for rabi cultivation has been sanctioned at an estimated cost of Rs. 4.12 crores.

The scheme envisages construction of regulators on Pagla and Bansloi rivers and a northward drainage channel with a regulator to control the

flow. The implementation of the scheme would ensure availability of more or less the same agricultural benefits which used to be derived from the low-lying areas prior to operation of the Farakka Feeder Canal. The Scheme will be implemented in 2½ years and has been taken up for execution.

Another scheme for drainage of Damos Beel area costing Rs. 77 lakhs for draining an area of 449 hectares has recently been received for examination by the Central Water Commission from the West Bengal Government.

(d) There is no such proposal under consideration with Government.

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण

3365. श्री नरसिंह मकवाना : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की जायेगी और उममें कौन-कौन सदस्य होंगे;

(ख) बोर्ड को क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी जायेंगी और सरकार उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या नियंत्रक बोर्ड के बारे में सम्बन्धित राज्यों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ तो उनका व्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत की गई अपनी अन्तिम रिपोर्ट में, अपने निर्णय तथा निदेशों के अनुपालन और क्रियान्वयन के प्रयोजन से "नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण" नामक एक अन्तर्राज्यिक प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना करने का निदेश दिया था। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के तन्त्र की स्थापना कर सके, इसके लिए यह जरूरी था कि अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाए। तदनुसार, इस बीच इस दायित्व से एक विधेयक, 12-6-1980 को लोक सभा में पारित किया गया है। राज्य सभा द्वारा भी इस पर विचार किया जाएगा। राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को पारित किये जाने और भारत

के राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृत दे दिए जाने के बाद नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

प्राधिकरण में 7 उच्च स्तरीय इंजीनियर-सदस्य होंगे—गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के पक्ष राज्यों द्वारा एक-एक इंजीनियर-सदस्य की नियुक्ति की जानी है और अन्य 3 इंजीनियरों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा पक्ष राज्यों की सलाह से की जानी है। तीन स्वतन्त्र सदस्यों में से किसी एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा।

(ख) प्राधिकरण का कार्य मुख्यतः समन्वय करने और निदेश देने का होगा। प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्य ये होंगे : निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों को चरणबद्ध और समन्वित करना ताकि इष्टतम लाभ शीघ्र प्राप्त किए जा सकें, परियोजनाओं के विभिन्न युक्तियों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करना, भूमि-अधिग्रहण, भूआवृत्ति और पुनर्वास सम्बन्धी मामलों में न्यायाधिकरण के आदेशों का सम्बन्धित राज्यों द्वारा समय पर पूरा अनुपालन कराने के लिए उपयुक्त निदेश देना, जन का हिमाब-किताब रखने के लिए नियम और विनियम बनाना, मध्य प्रदेश द्वारा जल के विनियमित रिलीज की मात्रा और पद्धति, उमकी कीमत की अदायगी तथा लागत के वंटवारे के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, उपर्युक्त निश्चित अवधियों के बाद राज्यों द्वारा नर्मदा के जल के इस्तेमाल को निर्धारित करना, विद्युत् के उत्पादन और पारेपण के एक चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के बारे में तथा बाढ़-पूर्वमूचना और बाढ़-नियंत्रण आदि की एक प्रभावी प्रणाली के निर्माण और प्रचालन के बारे में निदेश देना।

जैसा कि न्यायाधिकरण की रिपोर्ट में व्यवस्था है, कुछ विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और पक्ष-राज्यों पर बाबद्धकर होगा। न्यायाधिकरण ने एक पुनरीक्षण समिति गठित करने की भी सिफारिश की है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सिंचाई मंत्री होंगे और पक्ष राज्यों के मुख्य मंत्री जिसके सदस्य होंगे। यह समिति स्वतः अथवा पक्ष राज्यों के आदेश पर प्राधिकरण के किसी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। पुनरीक्षण समिति का निर्णय अन्तिम और सभी राज्यों पर बाबद्धकर होगा। इसके अलावा, सरदार सरोवर बांध और विद्युत काम्प्लेक्स के कुशल, मितव्ययनापूर्ण और शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण ने सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति स्थापित करने की भी सिफारिश की है।

(ग) केन्द्र द्वारा तीन इंजीनियर सदस्यों की नियुक्ति से सम्बन्धित सुझाव के सिवाय, सम्बन्धित पक्ष-राज्यों से नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना के बारे में कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।